माननीय *आर. पी. सेठी और सत पाल, जे. जे.*

सुरिंदर सिंह बंगर। -अपीलार्थी

*बनाम*

भारत का संघ एवम् अन्य -प्रत्यर्थी

*1989* का एल. पी. ए. 503

26 सितंबर, 1994

*लेटर्स पेटेंट अपील।1919—खंड* X-पदोन्नति *नीति* पैरा *12.2।बैंक परिपत्र के* अनुसार-अपीलकर्ता *को पाँच साल की सेवा में रखा गया है-पदोन्नति के लिए सेवा के वर्षों के संदर्भ में* न्यूनतम *पात्रता मानदंड पाँच साल है-चाहे अपीलकर्ता पदोन्नति का हकदार हो।*

*अभिनिर्णित किया जाता है कि कुछ वर्षों की सेवा में रहने से एक अधिकारी अपने आप में पदोन्नति के लिए योग्य नहीं हो जाता है-केवल उसे इस तरह की पदोन्नति पर विचार करने के लिए योग्य बनाता है-हालाँकि, उसे विचार के क्षेत्र में तभी रखा जाएगा जब वरिष्ठता सूची में उसका नाम रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के भीतर हो-अपील को खारिज किया जाता है।*

*अभिनिर्णीत* किया कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई सार नहीं है कि चूंकि अपीलकर्ता ने 5 वर्ष से अधिक की सेवा दी थी इसलिए वे विचार के क्षेत्र में आते हैं।पाँच साल की सेवा में रहने से, एक अधिकारी केवल अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य बन जाता है, लेकिन यह अपने आप में उसे विचार के क्षेत्र में नहीं लाता है।वह विचार के क्षेत्र में तभी होगा जब वरिष्ठता सूची में उसका नाम रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के भीतर हो।इस मामले के इस पहलू पर हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1985 *(2) एस. एल. जे. 482* एल. *मामले में उच्चतम न्यायालय के* फैसले से पूरा समर्थन मिलता है। (पैरा 11)

जे. एस. खेहर, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता की ओर से।*

एल. एम. सन, दीपक सूरी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के *लिए अधिवक्ता*

निर्णय

*सत पाल, जे.*

(1) यह निर्णय 1989 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 503 और 1989 की 490 का निपटारा करेगा, क्योंकि इन दोनों मामलों में कानून के समान प्रश्न और समान तथ्य शामिल हैं।

(2) संबंधित समय पर दोनों मामलों में रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी-बैंक में मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II/I में पद धारण किए हुए थे, और उन्होंने रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी-बैंक के कुछ अधिकारियों की ग्रेड स्केल II/III में पदोन्नति को चुनौती दी थी।-जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल में पद से मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के संवर्ग में और मध्य प्रबंधन स्केल II से मध्य प्रबंधन स्केल III में पदोन्नति में निहित पदोन्नति नीति द्वारा नियंत्रित की गई थी।बैंक परिपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1985।उक्त नीति के संदर्भ में।50 स्केल III में रिक्तियों का प्रतिशत योग्य अधिकारियों में से भरा जाना था, जिन्होंने स्केल II में कम से कम 8 साल की सेवा पूरी की थी और शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों को योग्यता के आधार पर भरा जाना था।इसी तरह, ग्रेड स्केल आईटी में 40 प्रतिशत रिक्तियों को योग्यता के आधार पर भरा जाना था।योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संदर्भ में न्यूनतम पात्रता 5 साल की संतोषजनक सेवा थी।

पैरा 12.2 के अनुसार पदोन्नति नीति, अनुसूचित जाति/वर्ग से संबंधित योग्य अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली गाइड लाइनें।अनुसूचित जनजाति श्रेणी को ध्यान में रखा जाएगा।इस संबंध में, दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं. 36011/16 ई. एस. टी. (एस. सी. टी.) 1982 में निहित हैं।इन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

> *"समूह ए (कक्षा I) के भीतर चयन* द्वारा पदोन्नति।
>
> समूह ए (वर्ग I) के भीतर पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिनका अंतिम वेतन रु 2,000 प्रति माह या उससे कम (संशोधित पैमाने में रु 2,250 प्रति माह या उससे कम) कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, जो वरिष्ठ हैं ताकि उन रिक्तियों की संख्या के भीतर हों जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाता है।"

(3) पक्षकारों के मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि 1989 की एल. पी. ए. संख्या 503 से संबंधित प्रासंगिक वर्ष के लिए योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या 75 थी और 1989 की एल. पी. ए. संख्या 490 के संबंध में ऐसे पदों की संख्या 320 थी।रिट याचिका, 1987 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5716 के पैरा 7 में, जिसमें से 1989 की एल. पी. ए. संख्या 490 उत्पन्न हुई थी, यह कहा गया था कि पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां करने के लिए विचार का क्षेत्र किसी भी समय भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा।यह तथ्य वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक प्रभाग) कार्यालय ज्ञापन संख्या 10 I1/II/83-SCT (B), दिनांक 7 नवंबर, 1983 में निहित भारत सरकार के निर्देशों से भी सामने आया है।दोनों वर्षों में, उन सभी उम्मीदवारों को, जिन्होंने सेवा के वर्षों की संख्या के संदर्भ में न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा किया, अर्थात, जिन्होंने ग्रेड स्केल I/II में पांच साल की संतोषजनक सेवा दी थी, चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।

(4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खेहर ने प्रस्तुत किया कि गृह मंत्रालय द्वारा 1982 में जारी निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए चुना जाना चाहिए, यदि वह विचाराधीन क्षेत्र के भीतर है और पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं पाया गया है।इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि सभी रिट याचिकाकर्ता, जो विचाराधीन क्षेत्र के भीतर थे और चयन बोर्ड के समक्ष पेश हुए थे, उन्हें ग्रेड स्केल II/III में पद पर पदोन्नति के लिए चुना जाना चाहिए था

क्योंकि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं पाए गए थे। इन विवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने दो निर्णयों पर भरोसा रखा-1 बिहार राज्य में सर्वोच्च *न्यायालय-टियारिजन आई. एल्यान एरिस्ना बनाम* यूनियन *ऑफ इनाया एना अदर्स (आई)* और सिंडिकेट *बैंक।अनुसूचित जाति एक अनुसूचित कर्मचारी संगठन (आर. टी. जी. डी.) ने अपने महासचिव, श्री ए.* एस. *कदलिया और अन्य बनाम* भारत *सरकार के* अतिरिक्त *सचिव, वित्त मंत्रालय द्वारा से बेकिंग डिवीजन जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली (2।*

(5)विद्वान अधिवक्ता ने वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग के ज्ञापन सं. 4/5/13 86-R दिनांक 4/8 सितंबर, 198b में निहित निर्देशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि उन निर्देशों के संदर्भ में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करने की आवश्यकता थी और यदि ऐसा अधिकारी बैंक के भीतर उपलब्ध नहीं था, तो बाहर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी को सह-चुना जाना आवश्यक था।उन्होंने कहा कि इन मामलों में, ग्रेड स्केल ।V और उससे ऊपर का अधिकारी उपलब्ध नहीं था, बैंक के भीतर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी को बाहर से सह-चुना जाना आवश्यक था और चूंकि ऐसे अधिकारी को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन वर्षों में ग्रेड स्केल ॥/॥। के अधिकारियों का चयन रद्द करने योग्य था।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 1989 के एल. पी. ए. संख्या 503 में उम्मीदवारों से संबंधित साक्षात्कार का परिणाम 18 मई, 1987 को घोषित किया गया था और उस मामले में रिट याचिकाकर्ता ने 16 मई, 1987 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी को चयन सूची में शामिल किया जाना था।

(6)प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सूरी ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि हालांकि दोनों मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं ने ग्रेड स्केल ॥/॥। के पद के लिए बैंक के कुछ अधिकारियों के चयन को चुनौती दी थी, लेकिन उन प्रभावित अधिकारियों में से किसी को भी रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और इस तरह, अपीलकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं थे।इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने द वर्कमैन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ओ. जे. *इंडिया बनाम मेसर्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ* इंडिया *(3) में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले* पर भरोसा किया।

(1) ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 983.
(2) जे. टी 1990 (3) एस. सी. 468
(3) ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 670।

(7) चयन बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी के गैर-समावेशन के संबंध में, बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकते हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी रिट याचिकाकर्ता बिना कोई आपत्ति उठाए चयन बोर्ड के समक्ष पेश हुए थे और यहां तक कि 1989 के एल. पी. ए. संख्या 503 में रिट याचिकाकर्ता का 29 जनवरी, 1987 को साक्षात्कार लिया गया था और उन्होंने परिणामों की घोषणा से ठीक दो दिन पहले 16 मई, 1987 को देर से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को इस बिंदु का आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने *सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया* जिसमें स्वार्म *लता बनाम भारत* संघ *और अन्य (4) और डॉ.* जी. सरना बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य (5) *और इस न्यायालय के एक निर्णय में भागीरथ राम गर्ग बनाम* पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (6) शामिल हैं।

(8) बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग), दिनांक 7 नवंबर, 1983 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार, रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से नीचे आने वाले उम्मीदवार विचाराधीन क्षेत्र में आते हैं।उन्होंने आगे कहा कि 1989 की एल. पी. ए. संख्या 490 से संबंधित रिट याचिका के पैरा 7 में

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं कहा गया है कि पदोन्नति करने के लिए विचार का क्षेत्र किसी भी समय भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा।उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्वीकार्य रूप से रिट याचिकाकर्ताओं में से कोई भी विचार के क्षेत्र के भीतर नहीं था और इस तरह, 1982 की सं. 36011/16 EST (SCT) में निहित भारत सरकार के निर्देश इन मामलों में लागू नहीं थे।इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि दोनों अपीलें योग्यता से रहित थीं और इन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(9) श्री खेहर ने अपने जवाबी तर्क में कहा कि चूंकि इन मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-बैंक के फैसले की वैधता को चुनौती दी थी इसलिए प्रभावित व्यक्ति आवश्यक पक्ष नहीं थे।इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद के महाप्रबंधक और अन्य बनाम ए. वी. के. *सिद्धांत और अन्य आदि में सर्वोच्च न्यायालय के दो*फैसलों *पर भरोसा किया। (टी) और यू.* पी. *शुष्क राज्य एक और बनाम राम गोपाल शुक्ला (8), और विश्वनाथ एन. वी. मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ का निर्णय।कर्नाटक राज्य और अन्य (9)।*

(4) 1979 (1) एस .एल .आर . 710.
(5) 1976 (2) एस .एल .आर. 509.
(6) 1982 (2) एस .एल .आर. 6.
(7) 1974 एस .एल. जे 576.

(10) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति पर अपनी उत्सुकता से विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।1982 के गृह मंत्रालय के परिपत्र में निहित निर्देशों के संदर्भ में, समूह 'ए' (श्रेणी 1) के भीतर पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिसका अंतिम वेतन रु 2,000 प्रति माह या उससे कम (संशोधित पैमाने में 2,250 प्रति माह या उससे कम) हालांकि कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी जो वरिष्ठ हैं उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा ताकि उन रिक्तियों की संख्या के भीतर हों जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाता है।इन निर्देशों की व्याख्या करते हुए, बिहार राज्य हरिजन कल्याण परिषद के मामले (उपरोक्त) के मामले में *सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "अनुसूचित* जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उन अधिकारियों को पदोन्नति के लिए माना जाएगा, जो विचार के क्षेत्र के भीतर होने के लिए पर्याप्त वरिष्ठ हैं।जैसा कि वित्त मंत्रालय के परिपत्र, दिनांक 7 नवंबर, 1983 में कहा गया है और रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 5716 के पैरा 7 में स्वीकार किया गया है, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए विचार का क्षेत्र किसी भी समय भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा।मान लीजिए, 1989 के एल. पी. ए. सं. 503 से संबंधित मामले में रिक्तियों की संख्या 75 थी और रिट याचिकाकर्ता का नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 694 पर था और इस प्रकार, वह विचार के क्षेत्र में नहीं था।इसी तरह, 1988 की सं. 5716 वाली अन्य रिट याचिका में योग्यता के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 320 थी।चूँकि इस याचिका में रिट याचिकाकर्ताओं के नाम क्रम संख्या 1734,2274,2275 और 2279 में थे, उनमें से कोई भी विचार के क्षेत्र में नहीं था।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता वर्ष 1982 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में निहित लाभ के हकदार नहीं थे।

(11) हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि चूंकि अपीलार्थियों ने 5 साल से अधिक की सेवा की थी, इसलिए वे विचार के क्षेत्र में आते हैं।पाँच साल की सेवा में रहने से, एक अधिकारी केवल अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य बन गया,

(8)1981 (2) एस. एल. आर 3
(9)1979 (2) एस एल आर 670

लेकिन यह अपने आप में उसे विचार के क्षेत्र में नहीं लाता है।वह विचार के क्षेत्र में तभी होगा जब वरिष्ठता सूची में उसका नाम रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के भीतर हो।इस मामले के इस पहलू पर हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (10) मामले में उच्चतम *न्यायालय के फैसले से पूरा* समर्थन *मिलता है।उस मामले में, सर्वोच्च* न्यायालय ने कहा कि "वाइवा वॉस में उपस्थित होने के लिए पात्र होने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को *लिखित परीक्षा* में कुल मिलाकर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए।न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपने आप में एक उम्मीदवार को इस बात पर जोर देने का अधिकार नहीं देता है कि उसे वाइवा वॉस परीक्षण *के लिए* बुलाया जाना चाहिए।हम अपीलार्थियों की ओर से उठाए गए इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए अधिकारियों का चयन रद्द करने योग्य था।जैसा कि पहले कहा गया है, सभी रिट याचिकाकर्ता चयन बोर्ड के गठन के संबंध में कोई आपत्ति उठाए बिना चयन बोर्ड के समक्ष पेश हुए थे।इसलिए, अपीलार्थियों को अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(12) चूँकि हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, इसलिए हम प्रतिवादी-बैंक की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझते हैं कि अपीलार्थी किसी भी राहत के हकदार नहीं थे क्योंकि उन्होंने प्रभावित पक्षों को शामिल नहीं किया था।

(13) दर्ज किए गए कारणों के लिए, दोनों अपीलों को खारिज किया जाता है। हालाँकि, पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा